भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 3820

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पंजाब में पीएम-किसान योजना

3820. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब में पिछले पाँच वर्षों में पीएम-किसान सम्मान निधि योजना से बाहर किए गए किसानों की संख्या कितनी है, साथ ही उन्हें हटाए जाने के क्या कारण हैं और वास्तविक लाभार्थियों को पुनः शामिल करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) 2019 से उक्त योजना से बाहर किए गए किसानों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य-वार आँकड़ा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने लाभार्थी सूची से गलत तरीके से हटाए गए वास्तविक किसानों की पहचान करने के लिए कोई समीक्षा या लेखापरीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पात्र किसानों का पुनः सत्यापन और पुनः शामिल करने के लिए कोई समय-सीमा प्रस्तावित है;

(ङ) क्या सरकार ने पीएम-किसान निधि योजना में किसानों को पुनः शामिल करने के लिए बजट 2025 में कोई बजटीय आवंटन निर्धारित किया है; और

(च) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की शिकायतों के समाधान के लिए राज्य और जिला स्तर पर मौजूद शिकायत निवारण तंत्र का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे अंतरित किया जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिले, योजना के अंतर्गत लैंड सीडिंग, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिए गए हैं। योजना की 12वीं किस्त (अगस्त 2022 - नवंबर 2022) जारी करने के दौरान लैंड सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया था और 13वीं किस्त (दिसंबर 2022 - मार्च 2023) से आधार-आधारित भुगतान अनिवार्य कर दिया गया था। ई-केवाईसी को 15वीं किस्त (अप्रैल 2023 - जुलाई 2023) से अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रक्रिया में, 12वीं किस्त की अवधि में योजना से लाभान्वित होने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या राज्यों में अस्थायी रूप से कम हो गई। यह कमी उन राज्यों में नाममात्र की रही, जिन्होंने सक्रिय रूप से उपयुक्त उपाय किए और उपरोक्त अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किया।

इन अनिवार्य मानदंडों को पूरा न करने वाले किसानों का लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। जब ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें पिछली किस्तों के अर्जित लाभों के साथ-साथ योजना का लाभ मिलता है। इस प्रक्रिया से योजना के पात्र किसानों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होता है।

पीएम-किसान योजना का लाभ, पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, डायरेक्ट बेनेफ़िट ट्रांसफ़र (डी.बी.टी.) के माध्यम से लाभार्थियों को ट्रांसफर किया जाता है। किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के लिए, पी.एफ.एम.एस. (PFMS), यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, पीएम किसान डेटाबेस को राशन कार्डों के पीडीएस (PDS) डेटाबेस के संदर्भ में सत्यापित किया जाता है, यूआईडीएआई (UIDAI) पोर्टल पर अपडेट किये गए मृत्यु के कारण निष्क्रिय आधार आदि तथा पीएफएमएस (PFMS) और आयकर डेटा के साथ डुप्लीकेशन से सत्यापित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुंचे । लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 20 किस्तों के माध्यम से अब तक रुपए 3.90 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की है। इस योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 04.08.2025 तक पंजाब के लाभार्थियों को जारी किए गए लाभों का किस्तवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) एवं (घ): यह सुनिश्चित करने हेतु कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे, भारत सरकार प्रायः राज्य सरकारों के साथ समन्वय में सैचुरेशन ड्राइव चलाती है। 15 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के तहत एक बड़ा राष्ट्रव्यापी सैचुरेशन ड्राइव चलाया गया, जिसके दौरान 1.0 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, नई सरकार की 100 दिनों की पहल के तहत, लगभग 25 लाख और पात्र किसानों को पीएम-किसान योजना के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, लंबित स्व-पंजीकरण मामलों के निपटान के लिए सितंबर, 2024 से एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत 30 लाख से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ा गया।

(ङ.)**:** वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएम-किसान योजना के लिए 63,500 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को जारी की गई और 9.71 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 20,500 करोड़ रूपए से अधिक का लाभ प्राप्त हुआ। इसमें से पंजाब के 11.34 लाख से अधिक लाभार्थियों को 387.76 करोड़ रूपए का लाभ प्राप्त हुआ।

(च): पीएम-किसान योजना के तहत किसानों के समक्ष आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध हैं:

- सीपीग्राम्स पोर्टल
- पीएम-किसान पोर्टल
- पत्र और ईमेल

इसके अतिरिक्त, शिकायतों का तुरंत समाधान करने हेतु, सितंबर 2023 में एक एआई-आधारित किसान ई-मित्र चैटबॉट शुरू किया गया था। यह चैटबॉट, किसानों के प्रश्नों का चौबीसों घंटे उनकी मातृभाषा में त्वरित, सटीक और स्पष्ट उत्तर प्रदान करता है, जिससे यह प्रणाली अधिक सुलभ और यूजर-फ्रेंडली बन जाती है। यह वेब, मोबाइल आदि सभी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है। वर्तमान में, किसान ई-मित्र चैटबॉट 11 भाषाओं-अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, तमिल, बंगाली, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु और मराठी में काम करता है और दिनांक 04.08.2025 तक 53 लाख किसानों के 95 लाख से अधिक प्रश्नों का सफलतापूर्वक समाधान कर चुका है।

अनुबंध

पंजाब के लाभार्थियों का किस्तवार विवरण और योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 04.08.2025 तक पीएम-किसान के तहत उन्हें जारी की गई राशि

किस्त संख्या एवं अवधि	लाभान्वित लाभार्थी	जारी की गई राशि (रुपये करोड़ में)
पहली किस्त (दिसंबर, 2018 - मार्च, 2019)	1,181,930	236.39
दूसरी किस्त (अप्रैल, 2019 - जुलाई, 2019)	1,411,655	312.85
तीसरी किस्त (अगस्त, 2019 - नवंबर, 2019)	2,221,746	483.42
चौथी किस्त (दिसंबर, 2019 - मार्च, 2020)	2,301,322	466.47
पाँचवीं किस्त (अप्रैल, 2020 - जुलाई, 2020)	1,901,762	417.89
छठी किस्त (अगस्त, 2020 - नवंबर, 2020)	1,904,615	384.87
सातवीं किस्त (दिसंबर, 2020 - मार्च, 2021)	1,871,663	374.47
8वीं किस्त (अप्रैल, 2021- जुलाई, 2021)	1,760,007	357.07
9वीं किस्त (अगस्त, 2021- नवंबर, 2021)	1,738,694	349.17
10वीं किस्त (दिसंबर, 2021- मार्च, 2022)	1,713,939	349.63
11वीं किस्त (अप्रैल, 2022- जुलाई, 2022)	1,697,473	340.95
12वीं किस्त (अगस्त, 2022- नवंबर, 2022)	207,564	41.87
13वीं किस्त (दिसंबर, 2022- मार्च, 2023)	861,030	308.70
14वीं किस्त (अप्रैल, 2023- जुलाई, 2023)	856,739	182.42
15वीं किस्त (अगस्त, 2023- नवंबर, 2023)	497,229	152.67
16वीं किस्त (दिसंबर, 2023- मार्च, 2024)	717,316	247.64
17वीं किस्त (अप्रैल, 2024 - जुलाई, 2024)	840,274	290.56
18वीं किस्त (अगस्त, 2024 - नवंबर, 2024)	926,150	272.82
19वीं किस्त (दिसंबर, 2024 - मार्च, 2025)	1,058,688	373.04
20वीं किस्त (अप्रैल, 2025 - जुलाई, 2025)	1,134,567	387.76

*****